ग्राम पंचायत हलाण–1, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्तायोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने एवं संयुक्त निदेश एवं उप–सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्याः PCH-(5)C(15) LAD/2006-12669, दिनाँक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत हलाण–1, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के लेखों का अंकेक्षण अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) दिनाँक 31.03.2018 को निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः– श्री फतेह चन्द

सचिवः–श्री शुकरू राम

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं0	राशि (₹) (लाखों में)
1	गृहकर के रूप में प्राप्त राशि का सम्भावित गबन/दुर्विनियोजन करना	8	0.09
2	बिना बिल/वाउचर के अनियमित भुगतान	12	0.61
3	बिना औपचारिकताएँ पूर्ण किए अनियमित क्रय	13	1.47
4	बिना हाजिरी लगाए मजदूरी के रूप में संदिग्ध भुगतान	14	0.03
5	क्रय निर्माण सामग्री के भण्डारण व उपयोगिता का अभिलेख प्रस्तुत न करना	15	7.34

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत हलाण–1, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अजीत सिंह, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनाँक 19.7.18 से 25.7.18 तक हलाण–1 में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया हैः–

I. सामान्य रोकड़ बही

वर्ष	आय	व्यय
2015–16	2/2016	6/2015
2016–17	8/2016	6/2016

II. जलागम परियोजना

वर्ष	आय	व्यय
2015–16	3/2016	10/2015
2016–17	2/2017	5/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत हलाण–1 के सचिव द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं/अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत होने अथवा उपलब्ध ही न करवाने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 लेखा परीक्षा शुल्कः–

ग्राम पंचायत हलाण–1 के लेखों के अंकेक्षण अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्याः 65 दिनाँक 25.7.2018 के द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 के नाम भेजने का अनुरोध किया है।

4 **वित्तीय स्थितिः—**

(क) स्वयं स्त्रोत व अनुदान निधि

संस्था द्वारा सामान्य रोकड़ बही को वर्ष 2017—18 तक पूर्ण नहीं किया गया था जबकि पंचायती राज नियम 7 में किये गये प्रावधानानुसार रोकड़ बही को पूर्ण करने का दायित्व ग्राम पंचायत सचिव का था तथा उपरोक्त के सन्दर्भ में सहायक नियन्त्रक, लेखा परीक्षा द्वारा जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 63 दिनाँक 23.7.2018 की अनुपालना में अपेक्षित कार्यवाही न करने के कारण वित्तीय स्थिति का निर्माण नहीं किया जा सका।

(ख) जलागम विकास परियोजना निधि

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	कुल राशि	भुगतान	अन्तिम शेष
2015—16	77954	801835	879789	46991	832798
2016—17	832798	144514	977312	896995	80317
2017—18	80317	2990	83307	—	83307

जलागम निधि की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलानः—

बैंक का नाम	खाता सं0	बैंक में जमा राशि
एस0बी0आई0	32204382956	48194
एस0बी0आई0	32204384512	35113
		83307

5 **असंचालित बैंक खाते में जमा ₹0.35 लाख का सावधि जमा योजना में निवेश न करने बारेः—**

जलागम परियोजना निधि से सम्बन्धित एस0बी0आई0 बैंक खाता संख्याः 32204384512 जिस में पानी के निजी टैंक बनाने हेतु दी गई वित्तीय सहायता से 5% की कटौती करके प्राप्त राशि को जमा करवाया जाता है, की जाँच करने पर पाया गया कि यह खाता दिनाँक 31.3.2014 से असंचालित पड़ा है तथा बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज की दर से ब्याज दिया जा रहा है। यदि उक्त खाते में जमा राशि को एक—एक वर्ष के लिये सावधि जमा योजना में निवेश किया होता तो ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती थी। अतः भविष्य में बैंक द्वारा इस खाते के असंचालित रहने की अवस्था में इसका

निवेश सावधि जमा योजना में किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित की जा सके। इसके अतिरिक्त इस राशि को रोकड़ बही में नहीं दर्शाया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अतिशीघ्र इस राशि का रख–रखाव रोकड़ बही में किया जाए।

6 बैंक खातो की पास बुकों का अद्यतनीकरण (Update) न करना व दिनाँक 31.3.2018 तक जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत सचिव से कई बार आग्रह करने के बावजूद भी बैंक खातों की पास बुकों का अद्यतनीकरण नहीं करवाया गया जिसके अभाव में दिनाँक 31.3.2018 को बैंक खातों में जमा राशियों का विवरण तैयार नहीं किया जा सका यह एक गम्भीर अनियमितता है। अतः बैक खातें की पास बुकों का यथासमय अद्यतनीकरण न करवाने व अंकेक्षण को बैंक खातों में जमा राशियों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त बैंक खातों में जमा राशियों से सम्बन्घित प्रमाण पत्र इस विभाग को सटिप्पण उत्तर के माध्यम से यथाशीघ्र प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित करें।

7 स्वयं स्त्रोत व अनुदान निधि की रोकड़ बही का अपूर्ण पाया जानाः–

ग्राम पंचायत हलाण–1 की स्वयं स्त्रोत व अनुदान निधि की रोकड़ बही वर्ष 2017–18 की पूर्ण नहीं की गई थी तथा इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 63 दिनांक 23.7.2018 के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था लेकिन पंचायत सचिव द्वारा न ही रोकड़ बही को पूर्ण किया गया और न ही इस अनियमितता बारे कोई स्पष्टीकरण दिया गया जबकि अंकेक्षण के सन्दर्भ में पंचायत सचिव को अंकेक्षण कार्य शुरू करने से पूर्व लगभग एक माह पहले अवगत करवा दिया था। उस के बावजूद भी अपेक्षित अभिलेख तैयार नहीं किया गया तथा अंकेक्षण के दौरान भी अंकेक्षण कार्य को गम्भीरता से न लेते हुए टालमटोल रवैये का प्रदर्शन किया गया जिससे न केवल अंकेक्षण कार्य भलिभाँति निपटाया गया बल्कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 79 (2) में किये गये प्रावधान की अनुपालना भी नहीं की गई है। अतः इस प्रकरण को उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि सम्बन्धित कर्मचारियों के विरूद्ध नियमों की अनुपालना न करने बारे यथोचित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा यथाशीघ्र रोकड़ बही को पूर्ण किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 गृहकर के रूप में प्राप्त ₹0.09 लाख का सम्भावित गबनः–

अंकेक्षणाधीन अवधि में गृहकर की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रसीद संख्याः 043840 से 043900 तक ₹8950 की वसूली वर्ष 2016–17 में की गई थी जिसे न तो रोकड़ वही में दर्शाया गया और न इस राशि को बैंक में जमा करवाया गया था तथा इस सन्दर्भ में की गई चर्चा में ग्राम पंचायत सचिव ने अंकेक्षण को अवगत करवाया कि इस राशि को जलपान के लिए रखा गया था इसलिए इसे बैंक में या रोकड़ बही में नहीं दर्शाया गया है लेकिन अंकेक्षण अधियाचना संख्याः' 57 दिनांक 23.7.2018 के माध्यम से मांगे गये स्पष्टीकरण में कोई भी लिखित उत्तर अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया। उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि इस राशि का गबन किया गया है तथा इस प्रकरण को पंचायती राज उच्चधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि दोषी कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके यथाशीघ्र इस राशि को रोकड़ बही में लेकर बैंक में जमा की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 रसीद बुकों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत हलाण–1 को जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 64 दिनाँक 23.7.2018 के माध्यम से अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 5 (4) के अन्तर्गत जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय से (विभिन्न प्राप्तियों के एवज में जारी की जाने वाली रसीदें) प्राप्त रसीद बुकों का अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था लेकिन ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की अवस्था में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जिला पंचायत अधिकारी से किस–किस क्रमाँक की कितनी रसीद बुकें प्राप्त की गई तथा प्राप्त रसीद बुकों में से कितनी प्रयोग में लाई गई व कितनी प्रयोग हेतु शेष बची थी। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि प्रयोग में लाई गई समस्त रसीद बुकों के माध्यम से प्राप्त राशियों को बैंक में जमा करवाया जा चुका है या नहीं। अतः यह प्रकरण पंचायती राज उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि अंतिशीघ्र प्राप्त रसीद बुकों का स्टॉक रतिस्टर तैयार किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रयोग की गई रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में ले लिया है या नही। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को भी आवश्यक

अभिलेखों का रख रखाव करने बारे निर्देश जारी किए जाएं तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावरों के शुल्क की प्राप्ति का अभिलेख प्रस्तुत न करनाः—

ग्राम पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 62 दिनांक 23.7.2018 के माध्यम से ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावरों से सम्बन्धित अंकेक्षण को उपलब्ध करवाने का आग्रह किया था लेकिन यथासमय अपेक्षित सूचना प्राप्त न होने पर यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि पंचायत क्षेत्र में किन—किन कम्पनियों द्वारा मोबाईल टावर स्थापित किये है तथा उनसे अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक कितनी राशि शुल्क के रूप में प्राप्त की गई व कितनी राशि दिनांक 31.3.2018 को वसूली हेतु शेष थी। अतः अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण पर उपलब्ध न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वाँछित अभिलेख पूर्ण करके अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाए।

11 स्थानीय मेलों के दौरान अस्थाई दुकानों से तहबाजारी शुल्क का अभिलेख प्रस्तुत न करनाः—

ग्राम पंचायत हलाण—1 के अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 61 दिनाँक 23.7.2018 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आयोजित स्थानीय मेलों में लगाई गई अस्थाई दुकानों से तहबाजारी के रूप में अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक कितनी राशि की वसूली की गई थी, का वर्षवार विवरण उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया था लेकिन पंचायत सचिव द्वारा इस सन्दर्भ में कोई अभिलेख/सूचना अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 की उप—धारा (3) के अन्तर्गत किये गये प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित करों की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त वर्णित कर की वसूली न करने अथवा वसूली की गई राशि से सम्बन्धित अभिलेख का अंकेक्षण पर उपलब्ध न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख तैयार करके अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाना सुनिश्चित करें।

12 बिना बिल/वाउचर के ₹0.61 लाख का अनियमित भुगतानः—

अंकेक्षणाधीन अवधि में किये गये भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार कृत भुगतानों से सम्बन्धित बिल/वाउचर

अंकेक्षण पर जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गये जिसके अभाव में भुगतान की सत्यापना नहीं की जा सकी तथा किये गये भुगतान संदिग्ध प्रतीत होते है। अतः अंकेक्षण पर इन भुगतानों के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित भुगतानों के बिल/वाउचर प्राप्त करके अगले अंकेक्षण पर दिखाये जाए अन्यथा बिल/वाउचरों के बिना किये गये भुगतानों की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके ग्राम पंचायत निधि में करके कृत कार्यवाही की अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाये।

वा0सं0	**भुगतान माह**	**फर्म/व्यक्ति का नाम जिसे भुगतान किये गये**	**भुगतान का विषय**	**राशि**
25	6/2015	श्री तारा चन्द पुत्र भीमी राम	निर्माण डंगा सड़क सुना सेरी (मात्र भुगतान की रसीद लगाई गई)	7000
22	6/2015	श्री दिनेश सुपुत्र श्री प्रेम चन्द	स्टोर का किराया (केवल भुगतान की रसीद लगाई गई)	3000
24	6/2015	हि0प्र0 बिजली बोर्ड	बिजली बिल का भुगतान	1157
16	6/2016	हि0प्र0 स्टेट सिविल सपलाई	175 बोरी सीमेन्ट की खरीद हेतु	49875
			कुल राशि	**₹61032**

13 बिना औपचारिकताएँ पूर्ण किए ₹1.47 लाख का अनियमित क्रयः–

अंकेक्षणाधीन अवधि में कृत भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार क्रय की गई निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 67 (5) (b) में कृत प्रावधानानुसार निविदाएँ आमन्त्रित नहीं की गई थी जो नियमों के विपरीत है। अतः नियमों की अवहेलना करके बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ न उठाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनियमित रूप से क्रय की गई सामग्री पर हुए व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर एकल निविदा के आधार पर क्रय करने बारे नियमित करवाया जाए तथा की गई कार्यवाही की अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाए।

वा0सं0	फर्म/व्यक्ति का नाम	कय की गई सामग्री का विवरण			राशि
		वस्तु	मात्रा	दर	
26	मै0 विश्वानाथ ट्रेडर्ज, सुन्दरनगर जिला मण्डी	ईंटें	4700	–	30250
28	श्री फतेह चन्द S/O श्री तोतू राम गाँव भोष, हरिपुर कुल्लू	पत्थर	33.8 cum	1772	59893
		बोल्डर	18 cum	670	12060
29	श्री केहर सिंह राणा	बजरी	21 cum	1400	29400
		रेत	2.78 cum	1400	3892
33	श्री विरेन्द्र नेगी बड़ाग्राँ	रेत	4.2 cum	1400	5880
		बजरी	4.2 cum	1400	5880
				कुल राशि	**₹147255**

14 मजदूरी के रूप में ₹0.03 लाख का संदिग्ध भुगतानः–

वाऊचर संख्याः 27 माह 6/2015 द्वारा ₹3230 का भुगतान श्री फतेह चन्द को मस्ट्रोल संख्याः 008315 जो अवधि 1.5.2015 से 25.5.2015 तक निर्माण रिटेनिंग वाल मैदान नजदीक संराय भोष के लिए जारी किया गया था, किया गया दर्शाया है। उक्त मस्ट्रोल की जाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त अवधि में श्री फतेह चन्द के नाम की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं थी और न इस व्यक्ति का नाम मस्ट्रोल में दर्शाये गये मजदूरो में शामिल था। अतः मस्ट्रोल में बिना हाजिरी व नाम दर्ज होने पर अवधि 1.5.2015 से 25.5.2015 तक ₹3230 का किया गया भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनुचित रूप से किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके प्राप्त राशि को पंचायत समिति निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना की पुष्टि अगले अंकेक्षण पर करवाई जाए।

15 ₹7.34 लाख की क्रय निर्माण सामग्री के भण्डारण व उपयोगिता का अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षणाधीन अवधि में विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की खरीद व उसके भण्डारण से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा निम्नविवरणानुसार खरीदी गई सामग्री के भण्डारण व उसके उपयोग से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 60 दिनाँक 23.7.2018 का भी कोई उत्तर नहीं दिया गया जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 के दौरान स्वयं स्त्रोतों अथवा 13वें व 14वें वित्तायोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों से कितनी सामग्री निर्माण कार्यों अथवा अन्यत्र प्रयोगार्थ खरीदी गई तथा कितनी सामग्री किसी विशेष निर्माण कार्य के लिए जारी की गई व कितनी सामग्री उपयोग हेतु शेष बची थी। अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 69, 70 व 71 में किये गये प्रावधानों की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वाँछित अभिलेख यथाशीघ्र तैयार किया जाना सुनिश्चित करें तथा इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही की अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

माह	वा0सं0	क्रय की गई सामग्री का विवरण			राशि
		नाम वस्तु	मात्रा	दर	
6/16	9	पत्थर	6 cum	1000	6000
6/16	17	पत्थर	12 cum	1000	12000
6/16	19	पत्थर	13 cum	1000	13000
6/16	20	पत्थर	11 cum	1300	14300
6/16	21	पत्थर	35 cum	1500	52500
6/16	22	पत्थर	16 cum	1300	20800
6/16	23	पत्थर	20 cum	1000	20000

6/16	24	पत्थर	14 cum	1000	14000
6/16	24 (1)	पत्थर	7 cum	1300	9100
6/16	27 (1)	पत्थर	88 ट्रैक्टर	4500	396000
6/16	28	पत्थर	37 cum	1200	44400
6/16	34	पत्थर	13.5 cum	1000	13500
6/16	35	पत्थर	5 ट्रैक्टर	1000	5000
6/16	37	रेत	250 cft	2200	11000
6/16	38	बजरी	100 cft	3100	6200
6/16	39	रेत	100 cft	2900	5800
6/16	40	रेत	200 cft	2900	11600
6/16	41	रेत	150 cft	2200	6600
6/16	42	रेत	300 cft	2200	13200
6/16	43	रेत	150 cft	2200	6600
6/16	44	बजरी	300 cft	2200	13200
6/16	45	बजरी	400 cft	3000	24000
6/16	46	रेत	150 cft	3000	9000
			150 cft	2200	6600
				कुल राशि	**₹734400**

16 आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत ₹0.11 लाख के आयकर की कटोती न करने बारेः—

पंचायत निधि से विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन के सन्दर्भ में किये गये भुगतानों से सम्बन्धित बिल/वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा निम्नलिखित भुगतानों पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (सी) के अन्तर्गत निर्धारित दर पर

आयकर की कटौती नहीं की गई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जाएः–

वा0सं0	**संविदाकार का नाम**	**कार्य का नाम**	**भुगतान की गई राशि (₹)**	**आयकर की कटौती (₹)**
21/6/16	श्री देवी सिंह	निर्माण गावड़ खाना (पत्थर की आपूर्ति)	52500	1050
28/6/16	श्री संगत राम	निर्माण साड़ी जागली सड़क से सेऊआ रा गलू रास्ता निर्माण (पत्थर की आपूर्ति)	44400	888
28/6/15	श्री फतेह चन्द	पत्थर व बोल्डर की आपूर्ति	71953	1439
27 (1)	–	(88 ट्रेक्टर पत्थर)	396000	7920
			कुल राशि	**₹11297**

17 स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक वर्ष कम से कम छःमाही के अन्तराल पर भौतिक सत्यापन करवाना अपेक्षित था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में एक बार भी स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है जिसका औचित्य उपरोक्त नियम के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 73 (1) (2) व (3) में किये गये प्रावधान के अनुसार स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएें।

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** इसे अलग से जारी नहीं किया है।

19 **निष्कर्षः—** ग्राम पंचायत निधि लेखाओं का रख—रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 में कृत प्रावधानानुसार किये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/—

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(iii) 35/18 खण्ड—1—8525—8528 दिनांक 29.12.18शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नग्गर, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत हलाण—1, विकास खण्ड नग्गर, तहसील मनाली, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881